

वास्तुविषय नियोजक,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,
नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, इन्दिरानगर,
लखनऊ।

विषय:- मेसर्स आर्णा इन्फ्राडेवेलपर्स प्रा० लि०, 2/334 विवेक खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा भूखण्ड संख्या-14/जी०बी०सी०-13 वन्द्यावन योजना रायबरेली रोड में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन को प्रविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रामाण पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक-05.02.2014 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक भवन मानचित्र की एन०बी०सी० एवं भवन निर्माण विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, पी०जी०आई०, लखनऊ एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का परीक्षण सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया, आख्या निम्नवत है:- भवन की संरचना :-

- 1- कुल भूखण्ड एरिया- 6650.00 वर्ग मीटर
- 2- प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के भूतल का कवर्ड एरिया-1476.36 वर्ग मीटर।
- 3- प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों को प्रथम तल से 12 वें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया अलग-अलग- 1394.58 वर्ग मीटर।
- 4- भवन के बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया-3651.32 वर्ग मीटर।
- 5- भवन की ऊँचाई-38.700 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

दोचागत व्यवस्था:-

- 1- पहुँच मार्ग :- भूखण्ड के सामने मानचित्र में 18.00 मीटर रोड की चौड़ाई अंकित है।
- 2- प्रवेश द्वार की चौड़ाई-भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 02 गेट प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 06-06 मीटर मानचित्र में है।
- 3- सेटबैक:- प्रस्तावित भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है:-

- अग्रभाग 15.00 मीटर
- पृष्ठभाग 15.00 मीटर
- पार्श्व भाग प्रथम 13.215 मीटर
- पार्श्व भाग द्वितीय 13.215 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है। सेटबैक सर्वैव अवरोध मुक्त रखे जायेगे सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एन्वेलप से बाहर है अतः बेसमेन्ट की छत/स्लैब 75 टन भार को सहने की क्षमता रखती है, का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्राप्त कर भवन का प्रयोग करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

4- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में 02-02 स्टेयर केस, प्रत्येक की चौड़ाई 1.50 एवं 1.20 मी० मानचित्र में प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स मानक के अनुरूप है।

5- रिपयूज एरिया:- भवन में बालकनी प्राविधानित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:-एन०बी०सी०-2005 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाये निम्नानुसार है।

- 1- अग्निगत टैंक:- प्रश्नगत भवन के मानचित्र में 100 के०एल० क्षमता का अन्डर ग्राउण्ड टैंक प्रस्तावित है।
- 2- पम्प:- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2850 एल०पी०एम० क्षमता का एक विद्युत चालित पम्प, एक डीजल चालित पम्प 2850 एल०पी०एम० क्षमता, तथा जोकी पम्प 180 एल०पी०एम० क्षमता का लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है।
- 3- होजरील : प्रस्तावित भवन के मानचित्र में होजरील, लैण्डिंग वाल्व, आई०एस०-3844 मानको के अनुसार है।
- 4- वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन०बी०सी०-05 के मानको के अनुरूप है।
- 5- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में गार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच फाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई०एस०-13039:1991 के अनुसार किया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है।

6- स्वाचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :- मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एनबीसी0 मानक के अनुसार है।

7- स्वाचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम :- आवश्यक नहीं।

8- स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- बेसमेन्ट में आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एनबीसी0 मानक के अनुसार है।

9- टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर टेरिस टैंक 10000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10- टेरिस पम्प:- आवश्यक नहीं।

11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस 2190-2010 के अनुसार प्राविधानित किया गया है जो मानक के अनुसंग है।

12- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-

ए- फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 2 पन्ना है।

बी- सिस्टम की मैप अप एयर हेतु व्यवस्था किया गया है।

सी- स्मोक रिजर्वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आवि को आधारित करते हुए एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण किया गया है।

13- प्रेशरइजेशन प्रणाली - आवश्यक नहीं।

14- एग्जिट साइनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित किया जाना प्राविधानित किये जाने होंगे।

15- पीएच0 सिस्टम:- पीएच0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन प्राविधानित है।

16- प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाइटिंग एनबीसी-2005 पार्ट-4 में उल्लिखित के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

17- भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सर्वैव कार्यशील वशा में रखने हेतु एनबीसी-2005 पार्ट-4 के प्रस्तर सी-5,सी-6,सी-7,सी-8,सी-9 में उल्लिखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

18- भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट,स्टेयर केसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, पी0जी0आई0, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर मेसर्स आर्षा इन्फ्राडेवेलपर्स प्रा0लि0, 2/334 विवेक खण्ड पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा भूखण्ड संख्या-14/जी0एच0-13 वृन्दावन योजना रायबरेली रोड में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(एच.एस.मलिक)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी/
प्रभारी उप निदेशक, फायर सर्विस,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

अग्निशमन अधिकारी, पी0जी0आई0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।